न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 05/ 2021
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2021/33

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		**अप्रार्थी /रेसपोण्डेंट्स:–**
श्री कचरु पुत्र श्री हरदार डिंडोर निवासी ग्राम जानामेडी तहसील व जिला बॉसवाडा।	**बनाम**	1. तहसीलदार तहसील बॉसवाडा 2. सरपंच ग्राम पंचायत लोधा तहसील व जिला बॉसवाडा 3. श्री कलु पुत्र श्री हरदार निवासी ग्राम जानामेडी तहसील व जिला बॉसवाडा

उपस्थित

श्री विपूल जोशी, एडवोकेट	श्री भुपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता श्री तसलीम अहमद, एड्वोकेट

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 31.05.2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने पक्ष में पंजीकृत इच्छा पत्र के आधार पर ग्राम जानामेडी के खाता सं. 217 खसरा नं. 506, 531/2, 560, 564/2, 588/9, 591, 607/64, 618/6 कुल खसरा 8 कुल रकबा 3.3669 है. भूमि का नामान्तरकरण खोलने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2021 को तहसीलदार बॉसवाडा को प्रस्तुत किया। पटवारी द्वारा दिनांक 31.08.2021 को वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृति/खारिज हेतु तहसीलदार बॉसवाडा के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा क्रमांक 1505 दिनांक 02.09.2021 खारिज किया गया जिससे असन्तुष्ट, अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] जारी किये गये। जिसमें दिनांक 29.10.2021 को रेस्पोडेंट सं. 3 की [illegible] एवं श्री पल्लव दवे [illegible] का अभिभाषक पत्र एवं दिनांक 10.11.2021 को रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से तसलीम अहमद अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 09.12.2021 को रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ,

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिसमे उल्लेख किया कि सम्पत्ति कृषि भूमि जिसका उपलब्ध रेकार्ड अनुसार निर्णय लिया जाता है। इच्छा पत्र में उल्लेखित नही होने से नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया। विरासत के नामान्तरकरण में कृषि भूमि के राजस्व ग्राम खसरा नंबर का उल्लेख नही होने से निरस्त किया गया है जो न्याय संगत है।

रेस्पोडेंट सं. 3 के अधिवक्ता श्री राजकुमार लखानी ने दिनांक 07.04.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकार रेस्पोडेंट सं. 3 को सूचना देने के बावजुद सम्पर्क नही किया जिसके कारण पैरवी करना संभव नही है। जिसके पश्चात् रेस्पोडेंट सं.3 को सूचना पत्र जारी कर अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित की गई। दिनांक 06.05.2022 को रेस्पोडेंट सं. 3 स्वयं उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आर्थिक स्थिति खराब होने से वकील नियुक्त करने में असमर्थ होना जाहिर किया एवं निवेदन किया कि उसे मौखिक रुप से सुना जावे। रेस्पोडेंट सं. 3 को सुना गया। रेस्पोडेंट सं. 3 ने कथन किया कि अपीलांट एवं वह आपस में सगे भाई है। प्रश्नगत भूमि पैतृक है, अपीलांट इच्छा पत्र के आधार पर प्रश्नगत भूमि अपने नाम नामान्तरकरण कराना चाहता था जिसे तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा निरस्त किया है एवं ग्राम पंचायत द्वारा जो विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह विधि संगत है। अतः अपील अपीलांट निरस्त करने निवेदन किया।

दिनांक 19.05.2022 को अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की एवं कथन किया गया कि रेस्पोडेंट सं. 1 तहसीलदार बॉसवाडा ने जिला स्तरीय विधि अधिकारी की विधिक राय लिए बिना ही नामान्तरकरण सं. 1505 दिनांक 24.07.2021 को पजीयन शुदा वसीयत पत्र में असल सम्पत्ति कौन से ग्राम में स्थित है उसका इन्द्राज नही है व उक्त भूमि खातेदार की पैतृक सम्पत्ति है का अंकन करा दिनांक 02.09.2021 को खारिज कर दिया। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 की धारा 74 के परिभाषा में सम्पत्ति [illegible] लिखना आवश्यक नही है केवल इच्छा पत्र निष्पादनकर्ता की इच्छा का [illegible] दृष्टान्त 2020(3) RLW 2219 (Raj.) प्रस्तुत किया। पंजीकृत इच्छा पत्र दिनांक 17.10.2012 अस्तित्व में होते हुए भी अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वसीयत नामान्तरकरण सं. 1505 दिनांक 24.07.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

को दिनांक 02.09.2021 को अपने आदेश से अवैध एवं बिना विधिक राय के खारिज किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने निवेदन किया।

रेस्पोडेंट सं. 2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि वह मात्र औपचारिक पक्षकार है इस कारण जवाब प्रस्तुत करना नही चाहते है। प्रकरण मे सरपंच ग्राम पंचायत लोधा को पक्षकार बनाया गया है, लेकिन वह एक औपचारिक एवं आवश्यक पक्षकार है। इसलिए उसे सुनने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

रेंस्पोडेंट 1 की ओर से कथन किया गया कि पंजीयन शुदा वसीयत पत्र में अचल सम्पत्ति कौन से ग्राम में स्थित है जिसका विवरण नही होने एवं प्रश्नगत सम्पत्ति खातेदार की पैतृक सम्पत्ति होने से प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज किया गया है, जो न्याय संगत है।

हमने दोनो पक्षो की बहस, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायीक दृष्टांत पर मनन किया पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न इच्छा पत्र का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पंजीकृत इच्छा पत्र में चल अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित स्पष्ट वर्णन नही है। इच्छा पत्र में इच्छा–पत्र निष्पादित कर्ता श्री हरदार ने अपनी स्वउपार्जित समस्त चल अचल सम्पत्ति को अपीलांट कचरु को इच्छा पत्र द्वारा उत्तरदत्त किया है। प्रश्नगत सम्पत्ति स्व उपार्जित नही होकर खातेदार की पैतृक सम्पत्ति है। तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा पंजीकृत वसीयत पत्र में वसीयत की गई सम्पत्ति कौन से ग्राम में स्थित है उसका इन्द्राज नही होने व उक्त सम्पत्ति खातेदार की पैतृक सम्पत्ति होने से प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज किया है, जिसमे कोई विधिक भूल नही की है। तहसीलदार द्वारा निर्णय से पूर्व विधिक अधिकारी से राय लेना अथवा नही लेना, यह सम्बन्धित अधिकारी के स्व विवेक पर निर्भर है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन नामान्तरकरण पर आदेश दिनांक 02.09.2021 मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। जहॉ तक ग्राम पंचायत लोधा तहसील व जिला बॉसवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण [illegible] 2021 को अपास्त करने का प्रश्न है, जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में [illegible] नियमानुसार अपील प्रस्तुत करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर ग्राम जानामेडी तहसील बॉसवाडा नामान्तरकरण संख्या 1505 को तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा खारिज आदेश दिनांक 02–09–2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:42 IST
Reason: SelfAttested